न्यायालय :- राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्र० R 848/F/06

श्री ... द्वारा आज दि० ... को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

1- सोवरनसिंह पुत्र स्व० श्री रामसिंह
2- भूरे सिंह पुत्र स्व० श्री रामसिंह
3- मुस० रामदेई विधवा पत्नी रामसिंह
4- शीतलकुंवर विधवा पत्नी गोपाल सिंह
5- कल्यानसिंह पुत्र स्व० गोपाल सिंह
6- आशाराम पुत्र स्व० गोपाल सिंह
7- रघुवीर पुत्र स्व० गोपाल सिंह
8- छोटेलाल पुत्र स्व० गोपालसिंह
9- मुकेश पुत्र स्व० गोपाल सिंह
10- जण्डेल पुत्र स्व० गोपाल सिंह
11- राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व० हाकिम सिंह
12- कपूर सिंह पुत्र स्व० हाकिम सिंह
13- रामवीर पुत्र स्व० हाकिम सिंह
14- दशरथ सिंह पुत्र स्व० हाकिमसिंह
15- लोकेन्द्र सिंह पुत्र स्व० हाकिम सिंह
जाति गुर्जर ठाकुर निवासी ग्राम हासई
मैवदा तहसील व जिला मुरैना म०प्र०

--- निगरानीकर्ता गण

विरुद्ध

1- बाबूराम पुत्र स्व० लक्ष्मी
2- तुलाराम पुत्र बाबूराम
जाति गुर्जर ठाकुर निवासी रजईकला तहसील
बाड़ी जिला धौलपुर (राजस्थान)

-असल गैरनिगरानीकर्ता गण

3- हरिकण्ठ पुत्र स्व० गादीपाल
4- रामनाथ पुत्र स्व० गादीपाल
5- रोशन सिंह पुत्र स्व० नयीपाल ---2

XXXIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 848–एक/2006 निगरानी जिला मुरेना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/ अभिभाषकों के हस्ताक्षर
16-5-16	आवेदकगण के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा के तर्क पूर्व पेशी पर सुने जा चुके है। उनकी ओर से प्रस्तुत लेखी बहस का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। 2/ यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग,मुरैना के प्रकरण कमांक 19/2005–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23–3–06 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क एंव लेखी बहस के अवलोकन उपरांत उपलब्ध अभिलेख से परिलक्षित है कि ग्राम गोपालपुरा में श्रीमती जावित्री देवी पत्नि बाबूराम के नाम भूमि थी, जिनकी मृत्यु उपरांत ग्राम पंचायत हिगोनाखुर्द ने ठहराव/प्रस्ताव कमांक 20/2002 से नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 9 पर प्रविष्टि दिनांक 28–4–2000 को आदेश दिनांक 25–5–2000 से प्रमाणित कर आवेदकगण का नामान्तरण किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी मुरैना ने प्रकरण कमांक 73/99–2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 19–8–04 से ग्राम पंचायत का नामान्तरण आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार की ओर हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई कर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर मुरैना के समक्ष निगरानी कमांक 5/04–05 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 30–9–05 से निगरानी निरस्त हुई। इस आदेश के	

विरूद्ध निगरानी होने पर अपर आयुक्त, चंबल संभाग,मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 19/2005–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23–3–06 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

4/ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि ग्राम पंचायत व्दारा नामान्तरण करने के पूर्व प्रकरण में इस्तहार का प्रकाशन तक नहीं किया है एंव खातेदार श्रीमती जावित्री देवी पत्नि बाबूराम के विधिक वारिसान को व्यक्तिगत सूचना भी तामील नहीं कराई है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी मुरैना ने ग्राम पंचायत के नामान्तरण आदेश को निरस्त कर हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई के लिये प्रकरण तहसीलदार की ओर प्रत्यावर्तित करने में त्रृटि नहीं की है। वैसे भी आवेदकगण जो तथ्य इस न्यायालय में प्रस्तुत कर प्रकरण अपने पक्ष में कराने के उत्सुक है उन्हें वही उपचार तहसील न्यायालय में भी प्राप्त है और इन्हीं कारणों से अपर कलेक्टर एंव अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के प्रकरण कमांक 73/99–2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 19–8–04 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 19/2005–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23–3–06 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य